महिला हेल्पलाईन

आपकी सहायता के लिए

प्रदान की जाने वाली सेवाएें :

महिला हेल्पलाईन का दायित्व विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना एवं अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को सहयोग प्रदान कर उनके पुनर्वास हेतु प्रयास करना है। इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हेल्पलाईन के माध्यम से निम्नांकित सेवाऐं प्रदान की जाती है:

1. संबंधित पक्षों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।
2. पीड़ित महिलाओं को आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
3. जरूरतमंद महिलाओं को 'अल्पावास गृह' के माध्यम से आवासन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना।
4. आवश्यकतानुसार पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना।
5. प्राथमिकी/एफ.आई.आर. दर्ज कराने में पीड़ित महिला को सहयोग प्रदान करना।
6. सामाजिक पुनर्वास कोष की राशि से पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता प्रदान कराना।
7. जिले में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा, अपराध एवं लिंग भेद आदि के रोकथाम के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

याद रखें, महिला हेल्पलाईन द्वारा दी जाने वाली उपरोक्त समस्त सेवाऐं पूर्णतः निःशुल्क है। सहायता हेतु निःशुल्क टोल फ्री नंबर 181 से भी संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित